5 रु. COURT भारत पाँच रुपये | 5 रु. COURT भारत पाँच रुपये | 5 रु. COURT भारत पाँच रुपये | Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर, केम्प उज्जैन (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक /2015 निगरानी

नि०/० 2636-III/15

अजयशंकर तिवारी (अ०)
प्रीत नगर, उज्जैन

अजयशंकर तिवारी 10/8/15 द्वारा दि० 10.8.15 को प्राप्त

हरिप्रसाद पिता बोन्दर कौरकु निवासी – बरबई तह, खातेगॉव जिला देवास (म.प्र.) ––निगरानीकता

विरूद्ध

रीनुबाई पति दिनेश विश्नोई पिता निवासी–ग्राम खिरनीखेड़ा तह, खातेगॉव जिला देवास (म.प्र.) ––रेस्पान्डेंट

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.सं.

माननीय महोदय,

अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार माहोदय खातेगॉव जिला देवास द्वारा प्रकरण क्रमांक 08 / अ–70 / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 30–06–2015 से असन्तुष्ट होकर यह निगरानी निगरानीकर्ता की ओर से सादर प्रस्तुत हैं :–

::– प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य –::

यह कि, विपक्षी ने अपनी भूमि सर्वे नंबर 362/1 व 372/1 रकबा 1.87 हेक्टर के सीमांकन हेतु विधिवत् आवेदन प्रस्तुत किया था, परन्तु सीमांकन कार्यवाही में प्रार्थी निगरानीकर्ता को आहुत नहीं किया और ना ही सीमांकन की कोई सूचना दी और ना ही विधिवत् सूचना के प्रावधान का पालन किया तथा अधिकार विहिन प्राधिकारी के विधि के नियमों का अनदेखा कर एकपक्षीय रूप से तहसील कार्यालय में बैठकर ही सीमांकन की कार्यवाही तथ्यों के विपरीत की गई, इस संबंध में रेस्पान्डेंट ने असत्य आधारों पर धारा 250 भू.रा.सं. के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें प्रार्थी की ओर से उक्त आवेदन पत्र का विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया तथा साथ में ही उक्त धारा 250 भू.रा.स. आवेदन पत्र को प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसपर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन पत्र पर कोई निष्कर्ष न निकालकर दिनांक 15/05/2015 की प्रोसिडिग में उक्त आवेदनपत्र का निराकरण अंतिम आदेश के साथ किये जाने का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया जिससे असंतुष्ट होकर प्रार्थी ने उक्त आदेश के पूनरविलोकन हेतु धारा 51 भु.रा.स. का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसपर अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आवेदन पत्र का विष्लेषण परीक्षण न करते हुए तथा विस्तृत आदेश पारित न करते हुए मात्र प्रोसिडिग दिनांक 30/06/2015 को आवेदन पत्र धारा 51 भु.रा.स. विधि अनुसार नहीं पाये जाने का उल्लेख करते हुए अस्विकार किया गया । उससे असन्तुष्ट व दुःखी होकर यह निगरानी उक्त तथ्यों के अलावा निम्न आधार पर प्रस्तुत की जा रही हैं :–

::– निगरानी के आधार –::

01. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय खातेगॉव देवास के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–06–2015 विधि विधान के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

निरन्तर.......2

R 2636-III/15 जिला रेवाड़ी

16.2.16

आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। जबकि आज दिनांक की सूचना थी। समय समय पर तीन बार आवाज लगाई गई। कोई उप० नहीं। आवेदक की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रकरण दा०दा० हो।

अध्यक्ष